सं. निदे.(एफ एंड वीपी)/43/सीएसी/एफएसएसएआई/09-Vol.- II

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

तृतीय एवं चतुर्थ तल, एफडीए भवन, कोटला रोड़,

नई दिल्ली–110002

दिनांकः 24.07.2012

विषयः दिनांक 17 जुलाई, 2012 (मंगलवार) को 10 बजे होटल – द ललित, नई दिल्ली में आयोजित एफएसएसएआई की केंद्रीय सलाहकार समिति की आठवीं बैठक का कार्यवृत्त

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 17 जुलाई, 2012 (मंगलवार) को 10 बजे होटल – द ललित, नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की आठवीं बैठक का कार्यवृत अवलोकन और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

अतः, अनुरोध है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां अधोहस्ताक्षरी को भेज दें, अन्यथा इस कार्यवृत्त को अंतिम माना जाएगा।

(डा. डी.एस. यादव)

उपनिदेशक (तक.)

फोन नं.: 011–23231681

ईमेलः dsyadav@fssai.gov.in

सेवा में: संलग्न सूची के अनुसार

सूची

1. सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23386004 ई–मेलः secy-agri@nic.in
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23061252 ई–मेलः secyhfw@nicmail.in
3. सचिव, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23388006 ई–मेलः secyahd@nic.in
4. सचिव (एफएंडपीडी), खाद्य एव सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23386052 ई–मेलः secy-food@nic.in
5. सचिव (सीए), उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23384716, ईमेलः secy-ca@nic.in
6. सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110049, फैक्सः 26493012, ईमेलः secy.hub@nic.in
7. वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23061796 ईमेलः csoffice@nic.in
8. सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23063045, ई–मेलः secretary-msme@nic.in
9. सचिव (पीआर), पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23389028, ई–मेलः secy-mopr@nic.in
10. सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली। फैक्सः 24361896, ई–मेलः envisect@nic.in
11. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। फैक्सः 23381495, ई–मेलः secy.wcd@nic.in
12. सचिव, जैव–प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली। फैक्सः 24362884 ई–मेलः mkbhan@dbt.nic.in
13. श्री सतीश गुप्ता, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर तथा नियंत्रक, औषधि एवं खाद्य नियंत्रण संगठन, राज्य खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, पटौली–मंगोट्रीयन, जम्मू–180007, जम्मू एवं कश्मीर। टेलीफैक्सः 0191– 2538527, 2538626, ई–मेलः controllerdrugsfood@yahoo.in
14. श्री अश्वनी कुमार राय (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त मध्य प्रदेश और नियंत्रक औषधि (खाद्य एवं औषधि प्रशासन), मध्य प्रदेश सरकार, ईदगाह हिल्स, भोपाल–462001, टेलीफैक्सः 0755–2665385, 2660690, ई–मेलः fda_mp@hotmail.com, ashwini.rai@gmail.com

15. डा. बी.आर. मीना, खाद्य सुरक्षा आयुक्त राजस्थान और निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य), निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान सरकार, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005, टेली–फैक्सः 0141–2229858, ई–मेलः directorph-rj@nic.in
16. श्री प्रवीन प्रकाश (आईएएस), आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, डीएम एवं एचएच कैम्पस, सुल्तान बाजार, कोटी, हैदराबाद–500095, टेलीः 040–24650365 फैक्सः 040–24652267, ई–मेलः praveenprakashhealth@gmail.com
17. श्री एच.जी. कोशिया, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गुजरात और आयुक्त, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन, गुजरात सरकार, ब्लॉक सं 8, प्रथम तल, डा. जीवराज मेहता भवन, गांधी नगर–382010, गुजरात। टेलीफोनः 079–23253417, 23253399, फैक्सः 079–2325333400, ई–मेलः hkoshia@yahoo.co.in, comfdca@gujarat.gov.in
18. श्री बिजु प्रभाकर (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त केरल, कार्यालयः खाद्य सुरक्षा आयुक्त केरल, थाइकुड, पीओ थिरूवनंथपुरम–695014, टेलीः 0471– 22322833, 2322844 फैक्सः 0471–2322855, ई–मेलः foodsafetykerala@gmail.com
19. श्री अंजुम परवेज़, खाद्य सुरक्षा आयुक्त कर्नाटक, आयुक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, आयुक्तालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और आयुष सेवाएं, तीसरा तल, आईपीपी भवन, आनंदा राव सर्किल, बैंगलौर–560009, टेलीः 080–22354085, 22874039, फैक्सः 080–22285591, ईमेलः comhfw@gmail.com
20. श्रीमती रजी पी. श्रीवास्तव (आईएएस) एवं एमडी पंजाब हेल्थ सिस्टम कार्पोरेशन एवं सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, एसआईएचएफडब्ल्यू कॉम्पलैक्स, फेज–6, समीपवर्ती सिविल अस्पताल, एसएएस नगर, मोहाली – 160056, पंजाब। टेलीः 0172–2266930, 2266935, फैक्सः 0172–2266936, ईमेलः phschd@yahoo.com, md_phsc@yahoo.in, hsg_68@yahoo.co.in
21. टी.एन. रमनाथन, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, कार्यालयः आयुक्त, इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, अरूमबक्कम, अन्ना नगर, चेन्नई–600106, टेलीः 044–26214718, 4335075, ईमेलः hfsec@tn.gov.in
22. श्री देबाशीस बोस, खाद्य सुरक्षा आयुक्त पश्चिम बंगाल और संयुक्त सचिव पश्चिम बंगाल सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तृतीय तल, विंग "बी", जीएन–29, सेक्टर–5, साल्ट लेक, कोलकोता–7000091, टेलीफैक्सः 033–23330231, ईमेलः pd_wbsapcs@wbhealth.gov.in

23. श्री के.जे.आर. बर्मन (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त दिल्ली, खाद्य सुरक्षा विभाग, रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार, ए–20, लारेंस रोड़ औद्योगिक क्षेत्र, रिंग रोड़, दिल्ली–110035, टेलीः 011–27194858, फैक्सः 011–27153846, ई–मेलः dirpfa@nic.in
24. श्री तपे बागरा, (आईएएस), आयुक्त (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) एवं आयुक्त खाद्य सुरक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, सिविल सचिवालय, इटानगर, अरुणाचल प्रदेश–791111, टेली–फैक्सः 0360–2212391 फैक्सः 0360–2211396, ई–मेलः tapebagra@gmail.com, arunachalfoodsafety@yahoo.co.in
25. श्री के.आर. मीना (आईएएस), सचिव स्वास्थ्य और राजस्व, स्थानीय प्रशासन विभाग, मुख्य सचिवालय, गोबर्ट एवेन्यू, पांडीचेरी–605001, टेली–फैक्सः 0413–2334144, ई–मेलः secylad@pon.nic.in, glu3959@yahoo.co.in, gsji1797@gmail.com
26. श्री महेश जगाडे (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त महाराष्ट्र और आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन महाराष्ट्र, एस.नं. 341, बान्द्रा कुर्ला, कॉम्पलैक्स, मधुसूदन कालेकर मार्ग, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई–400051, टेलीः 022–26592207, 26590548, फैक्सः 022–26591959, ईमेलः comm.fda-mah@nic.in
27. श्री बी. विजयन (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गोवा और प्रधान सचिव एवं सचिव (स्वास्थ्य), सचिव कार्यालय(स्वास्थ्य), पोरवोरीम, गोवा–403521 टेलीः 0832-2419440, फैक्सः 0832-2419687, ईमेलः b.vijayan@nic.in
28. श्री के. सुब्राह्मनियम, खाद्य सुरक्षा आयुक्त छत्तीसगढ़ और नियंत्रक, खाद्य और औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ सरकार, कालीबाड़ी, निकट महिला पुलिस स्टेशन, रायपुर–492001, टेलीः 0771-4080322 फैक्सः 0771-2221322, 0771-40368900 ईमेलः maniiyer1958@yahoo.co.in
29. श्री मनोज कुमार साहू (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दमन एवं दीव और कलक्टर, ओआईडीसी कैम्पस, संघ राज्य क्षेत्र दमन एवं दीव, सचिवालय फोर्ट क्षेत्र के निकट, मोती दमन–396220 टेलीः 0260-2230470, 2230689 फैक्सः 0260-2230570, ईमेलः collectordaman@gmail.com
30. श्री डी.के. तिवारी (आईएएस), आयुक्त खाद्य सुरक्षा, चौथा तल, चंडीगढ़ यूटी सचिवालय, डिलक्स बिल्डिंग, सेक्टर–9, चंडीगढ़–160017, टेलीफैक्सः 0172-2740045, ईमेलः gulshangirdhar@yahoo.com, birsat80@yahoo.co.in
31. श्री सी.आर. राणा (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हरियाणा और मिशन निदेशक एनआरएचएम, खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा सरकार, प्रयत्न भवन, बेज़ 55–58, सेक्टर 2, पंचकुला, हरियाणा, टेलीः 0172- 2573922 फैक्सः 0172-2580466, ईमेलः md-hrnrhm@nic.in

32. एस. रामास्वामी, आयुक्त खाद्य सुरक्षा उत्तराखंड, उत्तराखंड सरकार, 4–सुभाष रोड़, सचिवालय, देहरादून–248001, उत्तराखंड। फोनः 0135-2711718, 2712061 फैक्सः 0135-2712113 ईमेलः healthsecyuk@gmail.com
33. श्री संजय अग्रवाल (आईएएस), खाद्य सुरक्षा आयुक्त उ.प्र., खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, 9, जगत नारायण रोड़, उत्तर प्रदेश–226018, टेली : 0522-2258101/2258102/2258103, फैक्सः 0522–2258102, ईमेलः commissionerfda.up@gmail.com, fdaupgov@gmail.com
34. डा. उपेंद्र कुमार साहू, निदेशक, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, विभाग प्रमुख भवन, भुवनेश्वर, जिला खुर्दा–751001, ओडिसा, टेलीः 0674-2396977 फैक्सः 0674-2390674 ईमेलः dph.orissa@gmail.com
35. डा. एस. के. पाल, आयुक्त खाद्य सुरक्षा, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन सचिवालय, डीएचएस कार्यालय, पोर्टब्लेयर–744102, टेलीः 03192-233331, फैक्स:03192-232910, ईमेलः drsk_paul@yahoo.co.in
36. श्री ए.बी. इनुफ, आयुक्त खाद्य सुरक्षा असम और सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, असम सरकार, असम सचिवालय, ब्लॉक–डी, भूतल, दिसपुर, गुवाहटी–781006, टेली–फैक्सः 0361-2237263
37. श्री के. मोसिस चले, खाद्य सुरक्षा आयुक्त मणिपुर और आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), मणिपुर सरकार, कमरा नं. 233, पुराना सचिवालय, इंफाल, मणिपुर–795001, फोनः 0385-2450682, 2450513, फैक्सः 0385- 2456395, ईमेलः mchalai@yahoo.co.in
38. श्री एस. के. राय (आईएएस), आयुक्त खाद्य सुरक्षा, प्रधान सचिव त्रिपुरा सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सचिवालय कॉम्प्लैक्स, खेजूर बगान, त्रिपुरा सरकार, अगरतला–799006, त्रिपुरा। टेलीः 0381-2415058, फैक्सः 0381-2410145, ईमेलः dfwpm_agt@yahoo.co.in, sudipkin@yahoo.com
39. श्री मेनुखोल जॉन, आयुक्त एवं सचिव नागालैण्ड सरकार और पदेन आयुक्त खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, कोहिमा–797001, नागालैण्ड, फोनः 0370-2270457, फैक्सः 0370-2270062, ईमेलः holin_z@yahoo.co.in
40. श्री डी. पी. वहलांग (आईएएस), आयुक्त और सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), कमरा नं. 315, अतिरिक्त सचिवालय भवन, शिलांग, मेघालय–793001, टेली–फैक्सः 0364-2226978, ईमेलः dwahlang@yahoo.com, sangma.dcfs@gmail.com
41. डा. के. भंडारी, आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य देखभाल, मानव सेवाएं एवं परिवार कल्याण) विभाग, सिक्किम सरकार, तशिलंग, गंगटोक–737102, फोनः 03592-202633, फैक्सः 03592-2204481, ईमेलः healthsecyskm@yahoo.com

42. श्री एम. जोहमिंगथांगी (आईएएस), सचिव (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), मिजोरम सरकार, सचिवालय, न्यू केपिटल कॉम्पलैक्स, एजावल–796001, मिजोरम, फोनः 0389- 2328895, फैक्सः 0389-2320162, ईमेलः secyhealthmiz@gmail.com, mspc.aizawl@gmail.com

43. श्री के. विद्यासागर (आईएएस), प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार, नेपाल हाउस, डोरांडा, रांची–834002, टेलीः 0651-2491033, फैक्सः 0651-2490314, ईमेलः kasi_vidyasagar@yahoo.co.in, kavisahealth@gmail.com

44. श्री संजय कुमार (आईएएस), सचिव स्वास्थ्य विभाग एवं कार्यकारी निदेशक, राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, विकास भवन, नया सचिवालय भवन, पटना–800001, टेलीः 0612-2215809, 2281232, फैक्सः 0612-2224608, ईमेलः ed_shsb@yahoo.co.in, health-bih@nic.in

45. श्री अली रज़ा रिज़वी, आईएएस, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, हिमाचल प्रदेश एवं सचिव (स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश सरकार, एच.पी. सचिवालय, शिमला–171002 टेली–फैक्सः 0177-2621904, ईमेलः healthsecy-hp@nic.in, dhsr.hp@gmail.com

46. श्री संजय गोयल (आईएएस), आयुक्त खाद्य सुरक्षा और कलेक्टर, कलेक्टोरेट, सिलवासा, दादरा एवं नागर हवेली–396230 फोनः 0260-2642721, 2644203, फैक्सः 0260-2642787, ईमेलः collector-dnh@nic.in.

47. डा. एन. वसंथा कुमार, कलेक्टर एवं विकास आयुक्त और सचिव (स्वास्थ्य), संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप, कवारती–682555, एचपीओ कोची, टेलीः 04896-262256, फैक्सः 04896-263180, ईमेलः lk-coll@nic.in

48. डा. एस. भासकर रेड्डी, अतिरिक्त निदेशक, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फूड ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फिक्की का फूड विंग) / रिटेल, फोन नंः 23738760-70 (विस्तार) 310, ईमेलः baskar@ficci.com

49. श्री प्रदीप चौरडिया, चौरडिया फूड प्रोडक्टस, 48/ए, पार्वती इंडस्ट्रीयल एस्टेट, अदीनाथ सोसाइटी के सामने, पुणे–सतारा रोड़, पुणे–411009, टेलीः 09922990064, ईमेलःadmin@chordia.com

50. डा. जे टोनपांयोगंडगं वेलिंग, गांव–सनग्रतसु, जिलाः मोकोकचंग, नागालैंड।

51. श्री अरूण बालामट्टी, 815, 7वां क्रास, बनशंकरी, तीसरा फेज, तीसरा ब्लॉक, तीसरी स्टेज, बैंगलोर–560085

52. श्री आर. देसीकन, फांउडर ट्रस्टी, कंसर्ट एडं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 3/242 राजेंद्र गार्डन, वेटुवनकेनी, चेन्नई–600041, टेली/फैक्सः (044)24494576, (044)24494578 ईमेलः nirdesi@gmail.com, cai.india1@gmail.com

53. श्रीमती केया घोष, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, कोलकोता रिसोर्स सेंटर, 3 सुरेन टैगोर रोड़, दूसरा तल, कोलकोता–700019, प. बंगाल, टेलीफैक्सः 033-24604987, फोन 033-24604985, ईमेलः calcutta@cuts.org
54. डा. एस.पी. वेसीरेड्डी, अध्यक्ष एंव प्रंबध निदेशक, विमता लैब्स लिमिटेड, 142, आईडीए, फेज–II, चेरलापल्ली, हैदराबाद–500051, आंध्र प्रदेश, टेलीः 040-27264141, 040-27264444, फैक्सः 040-27263657, ईमेलः mdo@vimta.com
55. प्रोफेसर गोपाल नायक, भारतीय प्रबंधन संस्थान बैगंलोर (आईआईएमबी), बैनरघटा रोड़, बैंगलोर–560076, फोनः 080-26993194, ईमेलः gopaln@iimb.ernet.in

प्रतिलिपिः

1. अध्यक्ष के पीपीएस
2. सीईओ के पीएस
3. निदेशक (प्रव.) के पीएस
4. सारे संबधित अधिकारी, एफएसएसएआई

दिनांक 17 जुलाई, 2012 को होटल दि ललित, नई दिल्ली में आयोजित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की केंद्रीय सलाहकार समिति की 8वीं बैठक का कार्यवृत्त।

श्री एस. एन. मोहन्ती, सीईओ, एफएसएसएआई ने सभी सदस्यों और उनके प्रतिनिधियों का केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की आठवीं बैठक में गर्मजोशी से स्वागत किया।

सीईओ ने अपने स्वागत संबोधन में उल्लेख किया कि 5 अगस्त, 2011 को अधिनियम लागू होने के बाद से निराशा के कुछ क्षेत्र अभी तक विद्यमान हैं, जबकि कुछ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अभी तक पीएफए के अधीन लाइसेन्स दे रहे हैं तथा राज्यों में तैयारी का अभाव है। उन्होंने कहा कि अधिनियम नया होने के कारण अभी तक व्याख्या की प्रक्रिया में है तथा ये सभी कारक इसकी प्रगति हेतु चुनौती बने हुए हैं। तदुपरांत सीईओ ने सभापति से सीएसी को सम्बोधित करने का अनुरोध किया।

अध्यक्ष श्री के. चन्द्रमौलि ने अपने मुख्य संबोधन में बताया कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सम्बोधित किये जाने की जरूरत है। ये मुद्दे हैं :

1. अधिनियम के संबंध में मिथ्याधारणा/समझने में कमी की समीक्षा सभी स्तरों पर पदधारकों सहित सभी पणधारकों के साथ की जानी है।
2. चूंकि व्यापारियों द्वारा उठाए गए मुद्दे स्थानीय हैं, राज्य सरकार को व्यापारियों/एसोसिएशनों के साथ बातचीत करके मुद्दों को स्थानीय स्तर पर सुलझाना चाहिए।

अधिनियम समझने में कमी, चाहे प्रवर्तन स्तर पर हो अथवा एफबीओ स्तर पर, राज्य सरकार द्वारा सुलझाई जानी है, क्योंकि अंततः एफएसएस ऐक्ट का प्रवर्तन राज्य सरकारों के जिम्मे है। एफएसएसएआई प्रशिक्षण संचालित करने, राज्यों का दौरा करने और अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन हेतु स्पष्टीकरण जारी करने का कार्य कर रहा है।

अध्यक्ष ने मुख्य संबोधन के अंत में कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की सहायता यथासंभव विधि में की जाएगी, परंतु प्राधिकरण एफएसएस अधिनियम, 2006 को लागू करने के संदर्भ में सभी राज्यों में एकरूपता की प्रतीक्षा कर रहा है। राज्य पदाधिकारी अधिनियम लागू करने में आ रही किसी भी समस्या के मामले में एफएसएसएआई से सम्पर्क कर सकते हैं।

श्री एस.एन. मोहन्ती, अध्यक्ष, सीएसी ने कार्यसूची मदों पर विचार के साथ बैठक प्रारंभ की।

कार्यसूची मद सं. 1 : 27 अप्रैल, 2012 को सम्पन्न सीएसी की सातवीं बैठक के विवरण की पुष्टि

समिति द्वारा 27 अप्रैल, 2012 को सम्पन्न सीएसी की सातवीं बैठक के विवरण की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 2 : एफएसएस अधिनियम, 2006 लागू करने के संबंध में राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की प्रगति

अंडमान एवं निकोबार द्वीप, असम, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, गुजरात, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति नोट की गई। इन राज्यों ने परस्पर परामर्श का एक अवसर गंवाया है। राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की प्रगति निम्नानुसार है :

1) अरूणाचल प्रदेश

क. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पदनामित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य विश्लेषक तथा निर्णायक अधिकारी अधिसूचित किए गए हैं।

ख. राज्य में कुल 3500 एफबीओ'ज हैं, जिनमें 2500 एफबीओ'ज आवृत्त किए गए हैं।

ग. आज की तिथि तक 1750 पंजीकरण तथा 400 लाइसेन्स जारी किए गए हैं।

घ. उपयुक्त अपील न्यायाधिकरण विद्यमान है।

ङ. अपराधों के प्रशमन हेतु डीओ'ज को शक्तियां प्रदान करने के संबंध में विधि विभाग के साथ परामर्श किया जा रहा है।

च. नमूना विश्लेषण के लिए असम प्रयोगशाला की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।

2) आन्ध्र प्रदेश

क. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 23 डीओ'ज + 10 डीओ'ज म्युनिसिपल्स के लिए, 48 एफओ'ज, तथा एओ'ज अधिसूचित किए गए हैं। 92 एफएसओ'ज हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

ख. राज्य में प्रशिक्षण सत्र पूर्ण किया जा चुका है।

ग. दो न्यायाधिकरणों का प्रतिष्ठापन प्रक्रियाधीन है।

घ. आज की तिथि तक 2735 लाइसेन्स जारी किए जा चुके हैं। अभी तक ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ नहीं किया गया है। 2095 पंजीकरण मानवीय रूप से जारी किए गए हैं।

ङ. राज्य में ऑनलाइन एपी लगभग 10 दिन में आरंभ करने की प्रक्रिया में है।

च. आज तक 2232 नमूनों की जांच की गई है। रू. 234000 अर्थदंड वसूल किया गया है।

3) बिहार

क. खाद्य सुरक्षा का पृथक विभाग सृजित नहीं किया गया है।

ख. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 9 पदनामित अधिकारी (पूर्णकालिक) 38 जिलों में, 14 खाद्य सुरक्षा अधिकारी (पूर्णकालिक) तथा 1 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किया गया है।

ग. राज्य में एक खाद्य प्रयोगशाला है, जो एनएबील प्रत्यायित नहीं है। खाद्य विश्लेषक की कमी है, इसलिए उसके लिए सेवानिवृत्त व्यक्ति नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है।

घ. वेबसाइट निर्माण प्रक्रियाधीन है।

ङ. स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट का उपयोग खाद्य सुरक्षा के लिए भी किया जा रहा है।

च. जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किया गया है।

छ. निर्णायक अधिकारी तथा विशेष न्यायालय अधिसूचित किया गया है तथा अपील न्यायाधिकरण की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।

ज. प्राप्त किए गए 1145 नमूनों में 365 गलत ब्रांड/अपमिश्रित/घटिया/असुरक्षित पाए गए हैं।

झ. 30.06.2012 तक जारी पंजीकरण – 3731

ञ. 30.06.2012 तक जारी लाइसेन्स – 2122

ट. अक्टूबर, 2011 से जून, 2012 तक रू. 1,15,53,300 की राशि बतौर लाइसेन्स/पंजीकरण शुल्क वसूल की गई है।

ठ. एओ'ज का एक दिवसीय अनुकूलन प्रशिक्षण तथा डीओ'ज का तीन दिवसीय अनुकूलन प्रशिक्षण पूर्ण किया गया।

ड. तम्बाकू तथा निकोटीन युक्त गुटखा तथा पान मसाला की बिक्री पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया।

श्री ए.के. पांडा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेषालोकित किया कि राज्यों को अधिनियम, नियमों तथा विनियमों की सही व्याख्या के लिए विधि और खाद्य प्रौद्योगिकी की पृष्ठभूमि वाले कम से कम 2–3 संसाधन व्यक्तियों की जरूरत है। उन्होंने आगे सूचित किया कि 12वीं योजना के अंतर्गत, केन्द्र सरकार ने राज्य विनियामक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी स्कीम प्रस्तावित की है तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को डीओ, एफएसओ की कमी और अगले 5 वर्ष के लिए मार्गमानचित्र निदर्शक अवधारणा अथवा स्थिति नोट तैयार करने को कहा है। उन्होंने राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को एफएसएसएआई के समर्थन का उपयोग करना चाहिए। यह भी चर्चा की गई कि 50 प्रयोगशालाओं के लिए पहले किए जा चुके अंतराल विश्लेषण का उपयोग खाद्य प्रयोगशालाओं को मजबूत बनाने के लिए किया जाना चाहिए तथा शेष प्रयोगशालाओं के लिए अंतराल विश्लेषण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि एफएसएसएआई क्षमता निर्माण सुधार के क्षेत्र में यूएसएफडीए के साथ सहयोग कर सकता है।

4) छत्तीसगढ़

क. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 18 पदनामित अधिकारी (पूर्णकालिक) 27 जिलों में (नौ नए जिल सृजित किए गए हैं), 14 खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिसूचित किए गए हैं।

ख. 465 लाइसेन्स जारी किए गए हैं।

ग. पंचायत एवं शहरी स्थानीय निकायों के पदाधिकारी एफएसओ के साथ पंजीयक प्राधिकारी के रूप में शामिल किए गए हैं।

घ. 12वीं योजना में बिलासपुर में 1 क्षेत्रीय प्रयोगशाला विकसित करने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है।

ङ. राज्य में नमूनों में अपमिश्रण के विश्लेषण हेतु एक सचल प्रयोगशाला संचालित की जा रही है।

च. छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन के माध्यम से एफबीओ'ज के साथ रायपुर में कार्यशाला आयोजन द्वारा जागरूकता जनन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

छ खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने दूरदर्शन तथा ज्ञानवाणी मंच का उपयोग एफएसएस अधिनियम, 2006 का संदेश प्रसारित करने हेतु किया है। छात्राों में जागरूकता पैदा करने के लिए शैक्षिक संस्थाओं की प्रतिभागिता और टॉक शोज का आयोजन किया गया।

5) चंडीगढ़

क. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 1 डीओ तथा 3 एफएसओ नियुक्त किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट को निर्णायक अधिकारी नियुक्त किया गया है।

ख. चंडीगढ़ प्रशासन खाद्य नमूनों के विश्लेषण के लिए पंजाब एवं हरियाणा खाद्य प्रयोगशाला की सेवाओं का उपयोग करता है।

ग. खाद्य सुरक्षा अपील न्यायाधिकरण प्रतिष्ठापित किया गया है परंतु पीठ अधिकारी की नियुक्ति अभी तक लम्बित है। विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है तथा 2 अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त किए गए हैं।

घ. 3374 प्राप्त आवेदनों में (13.07.2012 तक), 295 लाइसेन्स जारी किए गए है तथा 59 पंजीकरण किए गए हैं।

ङ. एफएसओ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है परंतु डीओ तथा एओ'ज को प्रशिक्षण दिया जाना हैं

च. विभिन्न वर्गों के पणधारकों में जागरूकता पैदा करने के लिए होटल एसोसिएशन ऑफ चंडीगढ़, व्यापार मंडल एसोसिएशन तथा फ्लोर मिल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

6) दिल्ली

क. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 5 पदनामित अधिकारी तथा 32 खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिसूचित किए गए हैं।

ख. राज्य में 1 एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशाला है।

ग. 1 विशेष न्यायालय गठित किया गया है तथा 9 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट निर्णायक अधिकारी के रूप में अंधिसूचित किए गए हैं।

घ. कुल 2037 नमूनों में 63 मे अपमिश्रण पाया गया, 55 गलत ब्राण्ड के तथा 31 असुरक्षित पाए गए।

ङ. जागरूकता पैदा करने के लिए, मार्केट एसोसिएशनों, एपीएमसी, फ्लोर मर्चेण्ट्स सहित व्यापारियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

7) हिमाचल प्रदेश

क. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 82 पदनामित अधिकारी, 12 एओ'ज, 11 पूर्णकालिक एफएसओ'ज अधिसूचित किए गए हैं।

ख. आज की तिथि तक 1400 लाइसेन्स तथा 16000 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग. लाइसेन्स तथा पंजीकरण से रू. 2.4 करोड़ राजस्व अर्जित किया गया है।

घ. राज्य रेडियो, टीवी वार्ताओं इत्यादि जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से एफएसएस अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन ब्लॉक और पंचायत स्तर पर आरंभ कर रहा है।

ङ. राज्य ने तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

च. ऑनलाइन लाइसेन्सिंग शीघ्र प्रारंभ की जाएगी, जबकि प्रस्ताव पहले ही प्रेषित किया जा चुका है।

छ. सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

ज. राज्य में वित्तीय जटिलताएं विद्यमान हैं।

झ. राज्य में 1 संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला है। कुल 232 नमूने लिए गए जिनमें 46 में अपमिश्रण पाया गया तथा 9 अभियोजन उच्च न्यायालय स्तर पर चल रहे हैं।

8) महाराष्ट्र

क. सभी डीओ'ज तथा एफएसओ'ज खाद्य व्यवसाय प्रचालकों के घनत्व के आधार पर नियुक्त किए गए हैं।

ख. निगरानी प्रणाली विकसित की गई है।

ग. 1,29,851 पंजीकरण तथा 61,789 लाइसेन्स जारी किए गए हैं।

घ. विभिन्न सेक्टरों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली हेतु सांचा तैयार किया गया है।

ङ. खाद्य नमूना की विशेष रूप से दूध नमूना की निगरानी की जा रही है।

9) झारखंड

क. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, एओ'ज, डीओ'ज, 7 एफएसओ'ज अधिसूचित किए गए हैं। 39 एफएसओ'ज की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव अग्रेषित किया गया है।

ख. आज की तिथि तक 288 लाइसेन्स तथा 385 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग. राज्य में कोई प्रयोगशाला कार्य नहीं कर रही है क्योंकि कोई खाद्य विश्लेषण अधिसूचित नहीं किया गया है।

घ. एफएसओ'ज के लिए 3 माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में स्पष्टीकरण का मुद्दा उठाया गया क्योंकि अभी तक कोई संस्थान प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ चिन्हित नहीं किया गया है।

ङ. राज्य डीओ'ज/एफएसओ'ज के लिए 1 दिन का और प्रशिक्षण संचालन का इच्छुक है तथा एओ'ज का प्रशिक्षण क्षेत्रीय स्तर पर संचालित किया जाना चाहिए।

सीईओ ने बताया कि अभियोजन वादों के संचालन हेतु नियमपुस्तिका प्रक्रियाधीन है तथा अंतिम रूप दिए जाने के बाद प्रेषित की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्यों को उपभोक्ताओं हेतु खाद्य सुरक्षा में रूचि के संबंध में उपभोक्ता फोरमों के साथ बात करनी चाहिए।

10) पंजाब

क. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 20 डीओ'ज, 23 एफएसओ'ज, 2 एओ'ज, 2 खाद्य विश्लेषक अधिसूचित किए गए हैं। 27 औरएफएसओ'ज की अधिसूचना प्रक्रियाधीन है।

ख. राज्य में एक प्रयोगशाला है।

ग. अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

घ. आज की तिथि तक 2097 लाइसेन्स तथा 817 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ङ. पूरे राज्य में जागरूकता पैदा करने के लिए एनजीओ'ज के माध्यम से एसएमएस भेजे जा रहे हैं।

च. 4331 नमूने एकत्र किए गए हैं, जिनमें 3931 नमूने घटिया और 4 असुरक्षित पाए गए हैं।

छ. न्यायाधिकरण का प्रतिष्ठापन प्रक्रियाधीन है।

ज. अधिकारीगण लाइसेन्सिंग/पंजीकरण बढ़ाने के लिए एफबीओ'ज से मिलने के लिए बुनियादी स्तर पर जा रहे हैं।

झ. राज्य द्वारा मेला आयोजित किया गया जिसमें 135 पंजीकरण किए गए।

सीईओ ने सुझाव दिया कि पंजीकरण में तेजी लाने के लिए देश भर में "खाद्य मेला" आयोजित किए जाने चाहिए।

11) जम्मू एवं कश्मीर

क. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 2 उपायुक्त, 23 डीओ, 70 एफएसओ तथा 23 एओ अधिसूचित किए गए हैं।

ख. 8500 पंजीकरण किए गए हैं।

ग. 175 नमूनों में से 61 गलत ब्राण्ड/अपमिश्रित/असुरक्षित पाए गए तथा 31 मामलों में अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ की गई है तथा 9 का निस्तारण किया गया है।

12) केरल

क. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, डीओ'ज तथा एफएसओ'ज अधिसूचित किए गए हैं।

ख. 21,049 पंजीकरण तथा 8964 लाइसेन्स जारी किए गए हैं।

ग. निर्णायक अधिकारी अधिसूचित नहीं किया गया है तथा अपील न्यायाधिकरण का प्रतिष्ठापन किया जाना है।

घ. लाइसेन्सिंग/पंजीकरण को प्रोत्साहन के लिए व्यापारियों की सहायता से पर्चों का वितरण किया जा रहा है।

ङ. जल जांच के विशेष संदर्भ के साथ प्रयोगशालाओं के समुन्नतन हेतु केन्द्र से सहायता की जरूरत है।

13) कर्नाटक

क. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 30 डीओ'ज, 30 एओ तथा 106 एफएसओ'ज अधिसूचित किए गए हैं।

ख. 3300 लाइसेन्स तथा 10,200 पंजीकरण किए गए हैं

ग. ऑनलाइन लाइसेन्सिंग/पंजीकरण के लिए एनआईएसजी को बुनियादी डेटा उपलब्ध करवाया गया है।

घ. राज्य सरकार द्वारा रू. 10.4 करोड़ का बजट आबंटित किया गया है, जिसमें निम्न सम्मिलित हैं :

– सचल जांच सुविधा

– उपस्करों का प्रापण

– क्षमता निर्माण कार्यक्रम

– वेबसाइट विकास

–जागरूकता तथा एफबीओ'ज के लिए कार्यशालाएं

14) पश्चिम बंगाल

क. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

ख. 19 डीओ'ज अतिरिक्त प्रभार पर नियुक्त किए गए हैं।

ग. 17 एफएसओ'ज, कोलकाता निगम के 25 खाद्य निरीक्षक अधिसूचित किए गए हैं।

घ. आज की तिथि तक 5809 पंजीकरण तथा 914 लाइसेन्स जारी किए गए हैं तथा रू. 3528000 की राशि प्राप्त की गई है।

ङ. राज्य ने ऑनलाइन प्रोसेस कि लिए एनआईएसजी से सम्पर्क साधा है।

15) मिजोरम

क 152 लाइसेन्स जारी किए गए है परंतु अब तक कोई पंजीकरण नहीं किया गया है।

16) राजस्थान

क. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 7 जोन स्तर डीओ एवं 33 जिला स्तर डीओ, 92 एफएसओ तथा 8 खाद्य विश्लेषक नियुक्त किए गए हैं।

ख. अपर जिला मजिस्ट्रेट को 33 जिलों के लिए निर्णायक अधिकारी अधिसूचित किया गया है।

ग. खाद्य सुरक्षा अपील न्यायाधिकरण तथा विशेष न्यायालय का प्रतिष्ठापन प्रक्रियाधीन है।

घ. 16334 आवेदनों में से 14820 को लाइसेन्स जारी किया गया है तथा 49,657 में से 46,151 का पंजीकरण किया गया है।

ङ. 4917 नमूनों में 910 नमूने गलतब्राण्ड/घटिया/असुरक्षित पाए गए तथा 8 मामलों में एओ'ज द्वारा अर्थदंड लगाया गया है।

17) उत्तराखण्ड

क. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पदनामित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य विश्लेषक तथा निर्णायक अधिकारी अधिसूचित किए गए हैं।

ख. राज्य में सभी अधिकारी अधिसूचित किए जा चुके हैं।

ग. आज तक 728 लाइसेन्स तथा 11,577 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

घ. कुल 671 नमूने लिए गए जिनमें 93 नमूने अपमिश्रित/गलत ब्राण्ड के पाए गए हैं।

ङ. डीओ'ज तथा एओ'ज का प्रशिक्षण अगले महीने आयोजित किया जाता है परंतु राज्य में एफएसओ'ज का प्रशिक्षण भी चाहते हैं।

च. राज्य में केवल एक प्रयोगशाला रूद्रपुर में है। प्रयोगशाला के समुन्नतन हेतु एनआरएचएम के माध्यम से रू. 4750000 की राशि स्वीकृत की गई है।

छ. जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विभाग द्वारा अधिनियम से संबंधित सूचना राज्य के प्रमुख समाचारपत्र में प्रकाशित करवाई गई है।

ज. एफबीओ'ज कि विभिन्न वर्गों के लिए काउन्सिलिंग की गई है।

18) पुद्दुचेरी

क. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पदनामित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य विश्लेषक तथा निर्णायक अधिकारी अधिसूचित किए गए हैं।

ख. आज की तिथि तक 746 पंजीकरण तथा 146 लाइसेन्स जारी किए गए हैं।

ग. जून, 2012 माह में कुल 441 नमूनों का विश्लेषण किया गया है।

घ. 21 पदों के सृजन हेतु प्रस्ताव सरकार को दिया गया है।

ङ. ऑनलाइन लाइसेन्सिंग/पंजीकरण, हेल्पलाइन सुविधा, सचल प्रयोगशाला सुविधा के लिए राज्य में पर्याप्त निधियां तथा जनशक्ति नहीं है।

च एनएबील प्रत्यायन प्रक्रियाधीन है।

19) मध्य प्रदेश

क. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पदनामित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य विश्लेषक तथा निर्णायक अधिकारी अधिसूचित किए गए हैं।

ख. अप्रैल माह में डीओ'ज तथा एओ'ज के लिए अनुकूलन कार्यक्रम संचालित किया गया है।

ग. न्यायाधिकरण का प्रतिष्ठापन प्रक्रियाधीन है।

घ. आज तक 3360 लाइसेन्स तथा 13909 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

20) तमिलनाडु

क. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, 32 पदनामित अधिकारी, 545 खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य विश्लेषक तथा 32 निर्णायक अधिकारी अधिसूचित किए गए हैं।

ख. आज तक 9438 लाइसेन्स तथा 70714 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

ग. खाद्य प्रयोगशाला एनएबीएल प्रत्यायित नहीं है।

घ. खाद्य प्रयोगशाला उपस्कर क्रय करने हेतु रू. 6 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है।

ङ. कुल 457 नमूने लिए गए जिनमें 453 की जांच की गई तथा 38 गलत ब्राण्ड/अपमिश्रित पाए गए।

च. जागरूकता पैदा करने के लिए, राज्य ने कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से गठबंधन किया है तथा जागरूकता फैलाने के लिए 11 क्षेत्र चिन्हित किए हैं।

21) हरियाणा

क. खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पदनामित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य विश्लेषक तथा निर्णायक अधिकारी अधिसूचित किए गए हैं।

ख. अपील न्यायाधिकरण का प्रतिष्ठापन प्रक्रियाधीन है।

ग. राज्य में दो प्रयोगशालाएं – 1 चंडीगढ़ में तथा 1 करनाल में है।

घ. नए अधिनियम के तहत 1381 नमूने लिए गए हैं तथा 198 घटिया/गलत ब्राण्ड के पाए गए हैं।

ङ. राज्य द्वारा दुग्ध विक्रेताओं के लिए पटियाला में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

च. आज तक 2758 पंजीकरण तथा 528 लाइसेन्स जारी किए गए हैं।

छ. जनशक्ति की कमी के संबंध में विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है।

कार्यसूची मद सं. 3 : राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन लाइसेन्सिंग तथा पंजीकरण कार्य में प्रगति

ऑनलाइन लाइसेन्सिंग प्रणाली की शुरूआत प्रणाली में एकरूपता, आसान पहुंच तथा पारदर्शिता के लिए की गई थी। कुछ राज्यों ने ऑनलाइन लाइसेन्सिंग प्रारंभ करने में रूचि दर्शाई है। सीईओ ने बताया कि आवेदन प्रस्तुत करने पर लाइसेन्स तत्काल जारी नहीं किया जा सकता है। इसलिए एफबीओ को इसके भावी संदर्भ के लिए रसीद जारी करना जरूरी है तथा राज्य आवेदन प्राप्ति की रसीद देने के लिए अपना स्वयं का तरीका चुन सकते हैं।

कार्यसूची मद सं. 4 : राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक प्रयोगशालाओं कार्यशील प्रयोगशालाओं की स्थिति

सीईओ ने बताया कि कार्यसूची मद अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यसूची मद सं. 2 के अंश रूप में सम्मिलित की गई है। निधि जो प्रयोगशालाओं को जीएपी विश्लेषण पर आधारित एनएबीएल स्थिति की बनाने के लिए राज्य सरकार को अंतरित की जा सकती है, 12वीं योजना अनुमोदित होने के बाद ही जारी की जा सकेगी। प्रयोगशालाओं के समुन्नतन हेतु उपलब्ध परामर्शदाताओं की सूची के संबंध में भी डाय. (ई) से सम्पर्क किया जा सकता है।

कार्यसूची मद सं. 5 : नियंत्रक स्टाफ (डीओ'ज, एफएसओ'ज एवं एओ'ज) के भिन्न संवर्गों के लिए प्रशिक्षण की स्थिति

सीईओ, एफएसएसएआई ने विशेषालोकित किया कि प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य को प्रशिक्षण की स्थायी पद्धति विकसित करनी चाहिए, जिसमें ऐसे प्रशिक्षण के संचालन हेतु कुछ संस्थान चिन्हित किए जाने चाहिए। निदेशक (प्रवर्तन) ने सूचित किया कि नियंत्रकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम दो प्रकार का होगा यथा नए भर्ती डीओ'ज एवं एफएसओ'ज के लिए प्राथमिक प्रशिक्षण तथा विद्यमान कार्मिकों के समुन्नतन हेतु एओ'ज, डीओ'ज एवं एफएसओ'ज के लिए अनुकूलन प्रशिक्षण। डीओ'ज एवं एफएसओ'ज के लिए प्राथमिक प्रशिक्षण क्रमशः 15 दिन तथा 180 दिन का होगा तथा एफएसएसएआई ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन हेतु निफ्टेम (एनआईएफटीईएम) के साथ काम कर रही है। इसके अतिरिक्त, खाद्य विश्लेषक के लिए प्रयोगशाला कार्मिक हेतु प्रशिक्षण भी निम्न हेतु संचालित किया जाएगा (i) खाद्य विश्लेषक की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्हक प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम ; (ii) खाद्य विश्लेषक हेतु प्राथमिक कार्यक्रम; तथा (iii) खाद्य विश्लेषक हेतु अनुकूलन कार्यक्रम। इस प्रशिक्षण की अवधि का निर्णय किया जाना है तथा यह एक प्रकार का प्रमाणन कार्यक्रम होगा। यह भी सुस्पष्ट किया गया कि निफ्टेम द्वारा प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित प्रयोगशाला भी सृजित की जाएगी।

कार्यसूची मद सं. 6 : पणधारकों के भिन्न संवर्गों विशेष रूप से एफबीओ'ज के मध्य जागरूकता सृजन

सीईओ, एफएसएसएआई ने विशेषालोकित किया कि आईईसी गतिविधि अधिनियम लागू करने हेतु मेरूदंड है तथा जागरूकता सृजन एफएसएस अधिनियम को आगे बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण घटक है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त को प्राप्त किए गए लाइसेन्स शुल्क का न्यूनतम 75 प्रतिशत अंश आईईसी गतिविधियों में लगाने तथा (i) आईईसी गतिविधि – स्थानीय भाषा में विज्ञापन, एफएम में जिंगल्स, (ii) 24X7 खाद्य सुरक्षा हेल्पलाइन तथा (iii) खाद्य सुरक्षा के लिए स्थानीय भाषा में वेबपेज तैयार करने के संबंध में अपनी राज्य सरकारों के साथ बात करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एफएसएसएआई, एचक्यू द्वारा आईईसी की जो भी सामग्री विकसित की गई है, राज्य को भेजी जा सकती है तथा संबंधित राज्य द्वारा उसका अनुवाद स्थानीय भाषा में करवाया जा सकता है। सीईओ, एफएसएसएआई ने सूचित किया कि 12वीं योजना में राज्यों के लिए आईईसी गतिविधियों के लिए रू. 350 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। अतः राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को आईईसी गतिविधियों के लिए योजना तैयार कर पूरे क्षेत्र में भेजनी चाहिए।

कार्यसूची मद सं. 7 : संक्रमण काल हेतु समय विस्तार

कार्यसूची सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत की गई। सदन की सामान्य सोच थी कि विनियमों में संशोधन किए बिना अंतिम तिथि आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। विनियम में संशोधन में समय लगेगा अतः प्राधिकरण इस संबंध में आज की चर्चा के आधार पर एक सांविधिक सलाह जारी करेगा। यह अवधि छह माह बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि अभी तक एफबीओ'ज का एक छोटा सा अंश शामिल किया गया है तथा एफबीओ'ज को सक्षम बनाने के लिए समय विस्तार के बिना लाइसेन्सिंग तथा पंजीकरण निरर्थक होगा।

कार्यसूची मद सं. 8 : लाइसेन्स शुल्क

सीईओ ने स्पष्ट किया कि एफएसएस (खाद्य व्यवसाय की लाइसेन्सिंग तथा पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची–1 के अनुसार विमानपत्तन, बंदरगाह, रक्षा इत्यादि केंद्रीय लाइसेन्सिंग के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों में कार्यरत छोटे विक्रेताओं के लिए, प्राधिकरण इस मामले को सुलझाने के लिए एक संशोधित सलाह जारी करेगा।

महाराष्ट्र खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने छावनी परिषद में अधिकारी के अधिकारक्षेत्र के बारे में पूछताछ की क्योंकि यह भी एक स्थानीय निकाय है परंतु नगरपालिकाओं से भिन्न है। इसके जवाब में, सीईओ ने कहा कि प्राधिकरण इस संबंध में अधिकारियों के साथ 19 जुलाई, 2012 को एक बैठक आयोजित करेगा तथा मामले का निर्णय रक्षा/बंदरगाह अधिकारियों के साथ परामर्श कें पश्चात किया जाएगा।

केरल खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने रेलवे में अधिकारक्षेत्र के बारे में पूछताछ की। इस संबंध में, यह बताया गया कि रेलवे में अधिकारक्षेत्र सुपरिभाषित है, क्योंकि भारतीय रेलवे में डीओ'ज तथा एफएसओ'ज एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

कार्यसूची मद सं. 9 : स्थानीय निकायों की भूमिका

सीईओ, एफएसएसएआई ने अधिनियम की धारा 18(2)(घ) "अधिनियम के प्रयोग में अनुसरण किए जाने हेतु सामान्य सिद्धांत" का संदर्भ दिया, जिसमें खाद्य प्राधिकारी सुनिश्चित करेगा कि विनियम तैयार करने, उनका मूल्यांकन करने तथा उनको संशोधित करने में जनता के साथ प्रत्यक्ष रूप से अथवा पंचायतों के सभी स्तरों सहित प्रतिनिधि निकायों के साथ खुला और पारदर्शी परामर्श किया गया है। उन्होंने एफएसएस अधिनियम, 2006 के अधीन पंजीकरण के प्रयोजनार्थ सभी स्थानीय निकायों को सम्मिलित करने की पहल करने को कहा तथा इस संबंध में स्थानीय निकायों को सम्मिलित करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के प्रयासों की सराहना भी की। उन्होंने नगरपालिकाओं तथा पंचायतों को खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के साथ सम्यक एकीकृत करते हुए लाइसेन्सिंग/पंजीकरण के संचालन हेतु केन्द्र, राज्य तथा ग्राम पंचायत स्तरों पर यथेष्ट प्रणालियों पर भी बल दिया। पंजीकरण तथा सलाहकार पैनल सृजित किए जाने हैं।

कार्यसूची मद सं. 10 : राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के लिए कार्य योजना

सीईओ, एफएसएसएआई ने सूचित किया कि 12वीं योजना के अंतर्गत प्रवर्तन, आईईसी गतिविधियों, ई–गवर्नेंस तथा प्रयोगशालाओं के समुन्नतन हेतु राज्यों के लिए निधियां निर्धारित कर दी गई हैं। उन्होंने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 12वीं पंच वर्षीय योजना के लिए वित्तीय निर्धारण को ध्यान में रखते हुए योजना और रणनीति तैयार करने को कहा। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 12वीं योजना के दौरान वित्तीय सहायता "सहमति ज्ञापन" द्वारा बाध्यकारी वचनबद्धता के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। राज्यों को अपनी कार्य योजना तैयार रखनी चाहिए।

कार्यसूची मद सं. 11 : स्वास्थ्य अनुपूरकों, पोषक तत्वों का उत्पाद अनुमोदन

एफएसएस अधिनियम की धारा 22 की ओर संकेत करते हुए, सीईओ, एफएसएसएआई ने सूचित किया कि नूतन खाद्य, आनुवंशिक रूप से सुधार किया गया खाद्य, किरणित खाद्य, जैविक खाद्य, पोषक खाद्य, स्वाम्य खाद्य इत्यादि का विनिर्माण कर रही यूनिट को केंद्रीय लाइसेन्स प्राप्त करने से पहले निर्धारित प्रारूप में उत्पाद अनुमोदन के लिए आवेदन करना होगा, जो हमारी वेबसाइट www.fssai.gov.in पर उपलब्ध है। राज्य एफएससी'ज से उपरिवर्णित यूनिटों के लाइसेन्स रद्द करने के लिए डीओ को आवश्यक अनुदेश जारी करने का अनुरोध किया गया क्योंकि यह केंद्रीय लाइसेन्सिंग के अधिकारक्षेत्र में आता है।

एफएससी, महाराष्ट्र ने पूछा कि क्या लम्बे समय से विनिर्मित किए जा रहे उत्पाद के लिए उत्पाद अनुमोदन अपेक्षित है तथा कि क्या ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक्स ऐक्ट की अनुसूची एम के अंतर्गत कुछ नुस्खों के लिए जारी किए गए लाइसेन्स वैध हैं क्योंकि उनके विनिर्माण के लिए श्रेष्ठ विनिर्माण पद्धति का उपयोग किया जाता है तथा उनके विनिर्माण से पहले कच्चे माल की जांच अनिवार्य रूप से की जाती है तथा नुस्खे की यथेष्टता की जांच भी की जाती है। इस संबंध में, सीईओ, एफएसएसएआई ने उत्तर दिया कि थेरैपी से संबंधित कोई भी वस्तु ड्रग के अधीन आती है तथा पोषण से संबंधित कोई भी वस्तु खाद्य के अधीन आती है। उन्होंने आगे कहा कि खाद्य की जांच के लिए लम्बे समय से प्रयोग की जा रही लिटमस जांच इसकी निरापदता का प्रमाण है।

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त हुई।

.....

बैठक में शामिल होने वाले प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक–1** में दी गई है।

अनुलग्नक–1

दिनांक 17 जुलाई, 2012 को प्रातः 10:00 बजे होटल – दि ललित, नई दिल्ली में आयोजित एफएसएसएआई की केंद्रीय सलाहकार समिति की बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थे:

1. श्री के. चन्द्रमौलि, सीपी, एफएसएसएआई
2. श्री एस.एन. मोहन्ती, सीईओ, एफएसएसएआई
3. श्री अरूण कुमार पांडा, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
4. डा. अनिल शर्मा, परामर्शदाता, एफएसएसए, उत्तराखंड
5. श्री जी.सी. कांडवाल, डीओ खाद्य सुरक्षा, उत्तराखंड
6. श्री नज़ीर अहमद वानी, उपायुक्त खाद्य सुरक्षा जम्मू एवं कश्मीर, श्रीनगर
7. श्री यू.के. मित्रा, उपायुक्त खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, नाहरलागुन–791110
8. श्री बी. प्रशान्त कुमार, निदेशक, एएच, डी एवं एफ विभाग, कृषि मंत्रालय
9. श्री आर.पी.एस. जाडोन, संयुक्त नियंत्रक, खाद्य एवं औषध, मध्य प्रदेश
10. श्री बी.सी. जोशी, उपायुक्त, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण निदेशालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
11. श्री मनोज परीदा (आईएएस), संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मंत्रालय, भारत सरकार
12. श्री एस.बी. रेड्डी, अपर निदेशक, एफआईसीसीआई
13. श्री जी.एल. उपाध्याय, उपायुक्त खाद्य सुरक्षा, पुडुचेरी
14. डा. पी. सुचरित मूर्ति, निदेशक आईपीएम, पीएच (प्रयोगशाला), हैदराबाद
15. श्री आर.के. गुप्ता, उपायुक्त, पशुपालन, डेरी तथा मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय
16. डा. वाई.सी. निझावन, मुख्य निदेशक, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली
17. श्री के.जे.आर. बर्मन, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दिल्ली
18. श्री आशीष सिंह, पदनामित अधिकारी, पटना, बिहार
19. श्री लाल सावमा, उपायुक्त, खाद्य सुरक्षा, ऐज़वाल, मिजोरम
20. श्री डी.एल. अलवाधी, परामर्शदाता, पंचायती राज मंत्रालय
21. श्री जे.एच. पनवाल, संयुक्त तकनीकी सलाहकार, खाद्य और पोषण बोर्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
22. डा. टी.पी. बर्नवाल, मुख्य निदेशक (खाद्य), झारखंड
23. श्री बीजू प्रभाकर, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, केरल
24. डा. के. जयकुमार, अपर खाद्य सुरक्षा आयुक्त, तमिलनाडु
25. डा. सतबीर सिंह, पदनामित अधिकारी, चंडीगढ़
26. डा. सुरेखा चोपड़ा, ओएसडी, निदेशक, स्वास्थ्य सुरक्षा और नियंत्रक, शिमला, हिमाचल प्रदेश
27. श्री महेश जागड़े, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, एफडीए, महाराष्ट्र
28. डा. के.वी. सांखे, सह आयुक्त (खाद्य), एफडीए, महाराष्ट्र
29. डा. के.यू. मेथेकर, एफएसओ, एफडीए, महाराष्ट्र
30. श्री सुरिन्दर कुमार, उप निदेशक, (खाद्य सुरक्षा), दिल्ली
31. डा. जी.एल. सिंह, सह आयुक्त, एफडीए
32. श्री अशोक खुल्लर, सह आयुक्त (खाद्य), एफडीए, हरियाणा
33. डा. रामावतार जायसवाल, उप निदेशक (एफएसएसए), जयपुर, राजस्थान
34. सुश्री अनुराधा प्रसाद, संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
35. श्री के. सुब्रमनियन, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर
36. श्री राजन सहगल, मुख्य निदेशक (शर्करा), डीएफपीओ

37. श्री देवाशीष बोस, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, पश्चिम बंगाल
38. श्री अजित त्रिपाठी, सह सचिव, वाणिज्य मंत्रालय
39. डा. कर्णजीत सिंह, स्वास्थ्य सेवा निदेशक–सह–सह आयुक्त खाद्य सुरक्षा मानक
40. श्री आर. डेसिकन, न्यासी, कन्सर्ट (सीओएनसीईआरटी)
41. सुश्री रजनी, सह सचिव, डेरी विकास डीएडीएफ, कृषि मंत्रालय
42. श्री एस.के. नंदा, उपायुक्त (खाद्य सुरक्षा), खाद्य सुरक्षा विभाग, रा0रा0क्षे0 दिल्ली सरकार
43. श्री एस.एम. भारद्वाज, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा विभाग, रा0रा0क्षे0 दिल्ली सरकार
44. डा. श्रीनिवास गोडा, संयुक्त निदेशक (पीएचआई), बेंगलुरू
45. डा. आर.एम. शुक्ला, संयुक्त निदेशक (कीट विज्ञान), सीआईबी एवं आरसी सचिवालय, डी/ओ पीपीआर एवं एस, कृषि मंत्रालय, फरीदाबाद
46. श्री ए.के. ओझा, सहायक निदेशक, उपायुक्त कार्यालय, एमएसएमई, निर्माण भवन, नई दिल्ली
47. श्री विनोद के. शर्मा, एफएसओ, राजस्थान
48. श्री अश्वनी कुमार, सी/ओ खाद्य मंत्रालय

* यह नोट किया जा सकता है कि प्रतिभागियों के नाम उपस्थिति सूची में दर्ज क्रम में व्यवस्थित किए गए है और इनमें वरिष्ठता क्रम का अनुसरण नहीं किया गया है। नाम की वर्तनी में यदि कोई भूल है, तो उसके लिए खेद है।